UPKN010066102026

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं–08, कानपुर नगर</u>

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या 2283 / 2026

महताब आलम उम्र 50 वर्ष पुत्र मो0 उस्मान निवासी–मकान नम्बर 195 / 205 राम राय की सराय, मौलाना जलाल वाली गली, सरैया बाजार, जाजमऊ, थाना–जाजमऊ, कानपुर नगर।

.....अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डी0जी0सी0 क्रिमिनल, कानपुर नगर ।

.....अभियोजन पक्ष

मु0अ0सं0–78 / 2026
धारा–318(4),338,336(3),340(2)
351(3),308(2),61(2)बी0एन0एस0
<u>थाना–जाजमऊ, कानपुर नगर।</u>

<u>25.06.2026</u>

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र महताब आलम की ओर से मु0अ0सं0 78 / 2026, धारा–318(4),338,336(3),340(2),351(3),308(2),61(2) बी0एन0एस0, थाना–जाजमऊ, कानपुर नगर में अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ अभियुक्त की पत्नी शबनम परवीन का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त जमानत प्रार्थनापत्र माननीय सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर के आदेशानुसार जरिये अन्तरण प्राप्त हुआ है।

2. प्रथम सूचना रिर्पोट के परिशीलन से यह विदित होता है कि वादी मुकदमा मो0 आजम द्वारा दिनांक 04.05.2026 को इस अभिकथन के साथ प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करायी गयी है कि प्रार्थी आर्थिक रूप से बहुत कमजोर गरीब व्यक्ति है। प्रार्थी फल का ठेला लगाकर किसी तरह अपने व परिवार का भरण पोषण करता है। मोहल्ले के रहने वाले महफूज उर्फ पप्पू छूरी पुत्र मकबूल अहमद एक दिन मुझसे मोहल्ले में मिले और कहने लगे कि हम आपका मुद्रा लोन करवा देगे जिसमें ब्याज आदि बहुत कम है, लोन की आधी रकम करनी पड़ेगी। प्रार्थी महफूज उर्फ पप्पू छूरी के कहने पर लालच में आकर पांच लाख रुपया का मुद्रा

लोन कराने के लिए अपनी समस्त आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि समस्त प्रपत्र उनके घर जेके कालोनी जाजमऊ देने गया तो वहाँ पर पहले से महफूज उर्फ पप्पू छूरी की पत्नी सायरा उनका पुत्र फैज व साला महताब एवं IDBI बैंक के दो कर्मचारी नाम पता अज्ञात मौजूद थे। इन लोगो ने मुझसे पांच लाख रुपया का मुद्रा लोन कराने के बहाने धोखाधड़ी कर कई प्रपत्रों पर मुझसे हस्ताक्षर करवा लिए। महफूज उर्फ छूरी उपरोक्त के कथनानुसार कुछ दिन बीत जाने के बाद जब मैने उनसे अपने मुद्रा लोन के बारे में पूछा तो टाल मटोल करता रहा काफी दिन बाद जब मै बार बार अपने मुद्रा लोन के बारे में जानकारी करनी चाही तो एक दिन उसने बताया कि सरैया मोहल्ला ब्लैक लिस्ट में होने के कारण आपका मुद्रा लोन नहीं हो पायेगा और मेरी मूल आईडी, आधार कार्ड व पैन कार्ड वापस कर दिया। इधर कुछ दिनों से दैनिक समाचार पत्रों व सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि महफूज उर्फ पप्पू छूरी द्वारा मोहल्ले के व आस पास के कई व्यक्तियों से आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य पहचान पत्र लेकर उनके बैंक खाते खुलवाये गये है तथा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से फर्जी फर्म व जीएसटी प्रपत्र आदि तैयार कर गलत तरीके से लेन देन किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महफूज उर्फ पप्पू छूरी अपनी पत्नी सायरा पुत्र फैज साला महताब व बैंक कर्मियों की मिली भगत से मेरे द्वारा दिये गये मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का दुरुपयोग कर फर्जी फर्म व जीएसटी प्रपत्र तैयार कर गलत तरीके से काफी अधिक मात्रा में रुपयों का लेन देन किया गया होगा। मुझे दिन तारीख याद नहीं है। महफूज उर्फ पप्पू छूरी द्वारा मुझे अपने घर जे.के. कालोनी जाजमऊ में बुलाया गया था जहाँ उसकी पत्नी सायरा, पुत्र पुत्र फैज, साला महताब और बैंक के कर्मचारी जो वहाँ पहले से मौजूद थे, ने मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर बैंक में एकाउण्ट खुलवाने के नाम पर भय में डालकर महफूज उर्फ पप्पू छूरी के कहने पर कागजात पर मेरे हस्ताक्षर बनवाये तथा उसके बाद महफूज उर्फ पप्पू छूरी के कहने पर मुझे IDBI बैंक खाता खुलवाने के लिए बुलाया गया, जहाँ पर भी मुझे भय में डालकर महताब ने IDBI बैंक में खाता खुलवाते समय खाते पर पहले मेरे हस्ताक्षर करवाये बाद में मेरे हस्ताक्षर के बगल में अपना हस्ताक्षर बनाकर मेरे हस्ताक्षर को पुराना एवं अपने हस्ताक्षर को नया लिखकर बैंक से खाते से सम्बन्धित किताब, एटीएम कार्ड, चेक बुक आदि जो मिले थे उसे इन लोगो ने जबरदस्ती अपने पास रख लिया तथा उसके बाद फर्म खोलकर मेरे खाते में अपना मोबाइल नम्बर भी लिंक करवा लिया, जिससे की लेन देन से सम्बन्धित जानकारी

मुझे नहीं हो पाती है। श्रीमान जी महफूज उर्फ पप्पू छूरी का एक संगठित गिरोह है जो अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक लाभ हेतु हमारे जैसे कम पढे लिखे व गरीब व्यक्तियों को शिकार बनाकर लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से बैंकों में खाता खोलकर फर्म व जीएसटी प्रपत्र तैयार कर गलत तरीके से पैसों का लेन देन किया जाता है। मुझे इन लोगो से अब भी धमकियाँ मिल रही है मुझे इन लोगो से जान का खतरा है। अतः महोदय से अनुरोध है कि इनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही जाने की प्रार्थना की गई है।

3. जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र में अभियुक्त की ओर से अभियोजन कथानक का उल्लेख करते हुए यह कथन किये गये हैं कि महफूज उर्फ पप्पू छुरी के द्वारा अपनी फर्म से जी०एस०टी० द्वारा गलत लेन देन किया जाता है, विदित हो कि उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि महफूज उर्फ पप्पू छूरी की फर्म का जी०एस०टी० से सम्बन्ध है तथा कोई आपराधिक केस नहीं बनता है, यदि मान भी लिया जाये तो जी०एस०टी० विभाग को फर्म मालिक के विरूद्ध कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार है किन्तु यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जी०एस०टी० विभाग नें कोई कार्यवाही क्यों नही की। प्रार्थी के विरूद्ध कोई भी आपराधिक कृत्य नही बनता है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कौन सा आपराधिक कृत्य किया गया है। वास्तवकिता यह है कि प्रार्थी/अभियुक्त महफूज उर्फ पप्पू छूरी का साला है, इसलिए उसे झूठा फसाया गया है। अभियुक्त ने तथाकथित कोई भी अपराध नहीं किया है तथा वह पूर्णतः निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 78/2026 जो धारा 173 बी०एन०एस०एस० के निर्धारित प्रोफार्मा पर दर्ज है, जिसके कमांक–3 अपराध की घटना में दिन व दिनांक का वर्णन नहीं किया गया है तथा कमांक 5 में थाना से दूरी व बीट संख्या का वर्णन नहीं किया गया है तथा कमांक 6 पर वादी का यू०आई०डी० नम्बर व पासपोर्ट नम्बर की जगह खाली है तथा वादी का पहचान पत्र व व्यवसाय का स्थान रिक्त है तथा कमांक–7 में प्रस्तर–5 में केवल आई०डी०बी०आई० बैंक के दो कर्मचारी लिखा गया, जब कि इनका विस्तृत विवरण अंकित होना चाहिए था, जिससे स्पष्ट है कि बैंक का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था तथा क्रमांक 14 पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता का नाम पता फर्जी बनाया गया है तथा कमांक 15 में अदालत में प्रेषक का दिनांक और समय वर्णित नहीं किया गया है,

जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा–173 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट विधि विरूद्ध और अपूर्ण है। मुख्य अभियुक्त महफूज आलम उर्फ पप्पू छूरी की अपराध संख्या 78/2026 में जमानत माननीय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 8 कानपुर नगर द्वारा दिनांक 01–06–2026 को स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी का भी केस समतुल्य है, जिसके आधार पर जमानत याचिका स्वीकार किया जाना विधि संगत होगा। अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त मामले में यदि जमानत दे दी जाती है तो न्यायालय जो भी शर्ते लगाएगा, उसका अनुपालन अभियुक्त द्वारा शत प्रतिशत किया जायेगा। अभियुक्त जमानत मिलने के बाद वह विवेचना में पूर्णतया सहयोग करेगा और जब भी विवेचक द्वारा बुलाया जायेगा तो विवेचक के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा दिए गए निर्देशों का पालन करता रहेगा। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र सत्र न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया है तथ इसके पूर्व कोई भी जमानत प्रार्थनापत्र न तो सत्र न्यायालय में दिया गया। अतः उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की है।

4. विद्वान सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता (फौज़दारी) द्वारा अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध करते हुये तर्क दिये गये हैं कि अभियुक्त एक शातिर अपराधी है। अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के साथ धोखाधड़ी कर पैसों का लालच देकर फर्जी फर्म खुलवाकर उसका संचालन गलत उददेश्य से किया जा रहा है। यदि अभियुक्त को जमानत प्राप्त होती है तो वह जमानत का दुरूपयोग करेगा और पुनः अपराध कारित करेगा। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाय।

5. अभियोजन व अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्को के प्रकाश में, प्रपत्रों व समस्त केस डायरी का परिशीलन किया गया।

6. प्रस्तुत अभियोग में वादी मुकदमा की उपरोक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0–78/2026 धारा–318(4),338,336(3),340(2),351(3), 308(2),61(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत हुआ। अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि कथित फर्म कई वर्षो से चल रही थी, फर्म का रजिस्ट्रेशन भी कराया गया जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कराया जाना सम्भव नहीं है। वर्षो बाद घटना के सम्बन्ध में रिर्पोट दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त किसी फर्म का मालिक नहीं है।

वादी द्वारा घटना का कोई दिनांक, समय आदि दर्शित नही किया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के अभियुक्त के विरूद्ध इस मुकदमे के अतिरिक्त 04 अन्य मामलो का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है, उक्त सभी मामले वर्ष 2026 में ही पंजीकृत किया जाना दर्ज है। सह अभियुक्त की जमानत पूर्व में हो चुकी है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

7. अतः इस मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त न करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत स्वीकार किए जाने का आधार पर्याप्त है, तद्नुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त महताब आलम द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मुबलिग 50,000/– (पचास हजार रूपए) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर तथा इस आशय की अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर रिहा किया जाता है कि–

(i) प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य बताने से विमुख हो या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।

(ii) प्रार्थी/अभियुक्त अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/धमकाएगा।

(iii) प्रार्थी/अभियुक्त (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप–निर्धारण और (iii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर, व्यक्तिगत रूप से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(iv) प्रार्थी/अभियुक्त इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित होंगे, तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

(vi) प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी भी अपराध में शामिल नहीं होगा।

(vii) प्रार्थी/अभियुक्त अपना स्थायी तथा अस्थायी पते का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा तथा पते में कोई भी परिवर्तन होने की दशा में न्यायालय को सुचित करेगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर विचारण न्यायालय को यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

कार्यालय लिपिक आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर नगर को जरिये ई–मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित की जावे कि आदेश का इन्द्राज e-prison software पर करें और यदि सात दिन के अन्दर अभियुक्त रिहा नहीं होता है तो इसकी सूचना सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रदान करे। इसके अलावा यदि अभियुक्त आदेश पारित होने के एक माह तक रिहा नहीं होता है तो इसकी सूचना संबंधित न्यायालय, जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया है, को अविलम्ब प्रेषित करें। जमानत आदेश की प्रति मूल पत्रावली/रिमाण्ड शीट पर रखी जाए।

दिनांकः 25.06.2026

(विजय कुमार गुप्ता–I)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–8,
कानपुर नगर।

Digitally signed by VIJAY KUMAR GUPTA
Date: 2026.06.25 16:04:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court